

कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2020/1052-53

दिनांक:- 18/02/2020

निमित्त,
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :- जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गावों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

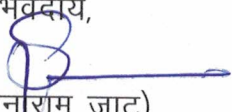
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खंड-प्रथम, बांसवाड़ा द्वारा जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गावों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/WATER/39353/2019 प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्ताव में पाई गई कमियों की पूर्ति करने हेतु यूजर एजेंसी को इस कार्यालय के पत्रांक 5463 दिनांक 27.08.2019 के द्वारा निर्देशित किया गया था।

आक्षेपों की पूर्ति करने के उपरांत मूल प्रस्ताव यूजर एजेंसी के पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 04.02.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ 4 () राजस्व/2019/296 दिनांक 03.12.2019 के द्वारा ग्राम गुवाड़ी, पटवार मंडल भगतपुरा, तहसील कुशलगढ़ के खसरा नंबर 96 कुल रकबा 25.5316 किस्म मगरी में से समतुल्य 16.4546 हेक्टेयर गैर वन भूमि का आरक्षण कर दिया गया है। यह गैर वन भूमि सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं बाधाओं से रहित होकर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पाई गई है। यूजर एजेंसी के द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित Forest rights settlement की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करवा कर जिला कलक्टर, बांसवाड़ा से वांछित प्रमाण-पत्र पृथक से प्रस्तुत कर दिये जाने हेतु वचनबद्धता-पत्र प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रस्ताव में इस कार्यालय के स्तर से आवश्यक समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर मूल प्रस्ताव 4 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सुगनराम जाट)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14() एफ.सी.ए./उवसं/2020/

दिनांक:-

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खंड-प्रथम, बांसवाड़ा निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

६०
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा